UPGK010100752025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 1015/2026,

सरवन चौहान पुत्र रामभवन, उम्र 45 वर्ष,
निवासी- जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा बाजार, थाना- पिपराईच,
जिला- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 788/2024,
धारा- 420,504,506,120बी भारतीय दण्ड संहिता,
थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर।

18.03.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त सरवन चौहान, जो अपराध संख्या- 788/2024, धारा- 420,504,506,120बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना- पिपराईच, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा कर्मवीर चौहान पिछले करीब 3 वर्ष से गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करता है इसी दौरान प्रार्थी की मुलाकात बंशीधर चौहान निवासी जंगल अहमद अली शाह और तुर्रा टोला शाहपुर से हुई जो कि प्रार्थी का दूर का रिश्तेदार है और मेरे साथ मेरे 4 मित्र भी थे बातें होती गई परिचय बढ़ा तो बातचीत करने के दौरान उसने बतों बातों में विश्वास में लेकर नौकरी के नाम पर चर्चा करते हुए कहा कि स्थताई सरकारी नौकरी तो नहीं है लेकिन वन विभाग में अस्थाई नौकरी संविदा पर दिला देगें जिसके बदले में प्रत्येक नौकरी पर 350000 (तीन लाख पचास हजार) रूपया लगेगा जो बाद में आगे चलकर स्थाई हो जाएगा और विश्वास के उपरांत जब मित्रता बढ़ गई तो उसने 259000 रूपये ले लिए और बोला तत्काल जाइंनिंग करना है जल्दी करो नहीं तो नहीं हो पाएगा जब पैसा ले लिया उसके बाद से आज तक फोन नहीं उठाता है और उसके घर जाने पर नहीं मिलता है। घर पर उसके दोनों भाई उसकी भाभी सब उसकी ही तरफदारी करते है उसके घर वाले मेली मददगार है पता चला कि सुविधाओं से युक्त दो मंजिला मकान है सब बंशीधर ने ही बनवाया है और हम लोगों को उसके दोनों भाई और भाभी गाली और धमकी देकर घर से भगा देते है कहते है पैसा भूल जाओ पैसा नहीं मिलेगा और इस तरह की

जानकारी हुई है। ऐसा ही कृत्य उसने बहुतों के साथ किया है। वह एक पेशेवर ठग और फर्जी कार्य करने वाला व्यक्ति है, जिसने उसके घर वाले तथा उसके कुछ साथी भी शामिल है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। आवेदक ने कोई जुर्म नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा न ही कोई धोखाधड़ी की गयी है, न ही प्रार्थी ने कोई गाली गलौज किया गया और न ही आवेदक द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई तथा न ही आवेदक द्वारा कोई अपराध किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में न ही घटना की कोई तारीख लिखी हुई है न ही आवेदक के ऊपर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं से संबंधित कोई आरोप दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व दौरान विवेचना भी आवेदक के विरूद्ध वादी मुकदमा से कोई भी रूपये से लेन-देन से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्रावली में दाखिल नही है, न ही प्रथम सूचनाकर्ता के पास उपलब्ध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी में मात्र गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.01.2026 से जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह-अभियुक्त के साथ मिलकर वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर वादी का रू0-259000 रूपया हड़प लिया गया, ऐसा ही कृत्य उसने बहुतों के साथ किया है। अतएव मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उभय पक्षो के तर्को के प्रकाश में सम्पूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया। प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक/अभियुक्त को किसी अपराध में पूर्व में नामित अथवा दोषसिद्ध होना नहीं कहा गया है। मामले के विचारण की अवधि में आवेदक/अभियुक्त को पलायन किये जाने, साक्ष्य से छेड़छाड़ करने या साक्षीगण को डराये धमकाये जाने की कोई आशंका अभियोजन पक्ष द्वारा व्यक्त नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवम् अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र **अमन प्रीत सिंह बनाम सी०बी०आई० जरिये डायरेक्टर 2021**

ए०सी०सी० आनलाईन एस०सी० 941 व **सत्येन्द्र कुमार अंटिल प्रति केन्द्रीय अन्वेषण व्यूरो व अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** में प्रतिपादित विधिक सिद्धान्त के आलोक में सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आवेदक/अभियुक्त सरवन चौहान का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 50,000-/-रूपये का स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाय-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2- आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

3- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या बचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगा,

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

दिनांक/गोरखपुर
18 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.18 16:23:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court